

शोधन अक्षमता से जुड़े सीमा-पार मापदंडों के लिये संयुक्त राष्ट्र मॉडल अपनाने पर वचिार

चर्चा में क्यों?

सरकार सीमा-पार शोधन अक्षमता मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र कानूनी मॉडल को अपनाने पर वचिार कर रही है क्योंकि यह दविलयिापन प्रस्ताव ढाँचे को मज़बूत करने पर काम करता है।

प्रमुख बदि

- शोधन अक्षमता और दविलयिापन संहति (Insolvency and Bankruptcy Code) में सीमा-पार शोधन अक्षमताओं से जुड़े मामलों से संबंधति कई अनुभाग हैं लेकनि अभी तक ये क्रयिान्वति नहीं हैं।
- कॉर्पोरेट मामलों के सचवि इंजेती शरीनवास की अधयक्षता में शोधन अक्षमता कानून समति, सीमा-पार शोधन अक्षमता प्रावधानों को प्रारंभ करने की संभाव्यता का अधययन कर रही है।
- समति सीमा-पार शोधन अक्षमताओं से नपिटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून मॉडल पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रावधानों को अपनाने का वचिार कर रही है।
- वर्तमान संहति की दो धाराएँ 234 और 235 सीमा-पार शोधन अक्षमता से संबंधति हैं, जो कर्केंद्र को संहति के प्रावधानों को लागू करने के लिये दूसरे देश के साथ एक समझौते में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करती हैं। यह प्रक्रया अपर्याप्त और समय लेने वाली मानी जाती है।
- सीमा-पार शोधन अक्षमता मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र मॉडल को अपनाए जाने की दशा में धारा 234 और 235 को संहति से हटाया जा कता है क्योंकि ये धाराएँ केवल द्वपिक्षीय समझौतों से संबंधति हैं।